कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री राजेन्द्र कस्वां मैरिट नम्बर 1772 को श्रीगंगानगर जिला आवंटित किया गया था। श्री राजेन्द्र कस्वां द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 13161/2020 राजेन्द्र कस्वां बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित कर 'SPEAKING ORDER' जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसरण मे याचिकार्थी राजेन्द्र कस्वां द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनसे कम मैरिट वालो को गृह जिला दिया गया है। उनका पदस्थापन निवास स्थान से 300 कि.मी.दूर स्थित है, जिसके चलते उन्हे अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री कस्वां द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार श्रीगंगानगर जिला आवंटित किया गया था।

विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरवाए गए थे तब चुरू जिले मे 183 स्थान/रिक्तियां थी। प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के निर्देशानुसार ही उक्त सीटो/रिक्तियों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया –

विशेष श्रेणी	रिक्तियो का आवंटन
विकलांग	05 रिक्तियां
परित्यक्ता	01
एकल महिला	104
भूतपूर्व सैनिक	01
पति–पत्नी प्रकरण, कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो	17
असाध्य रोग	01
सामान्य महिला	54
योग	183

श्री राजेन्द्र कस्वां की मैरिट से ऊपर की मैरिट वाले अभ्यर्थियो/विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियो से चुरू जिले की सीटे भर जाने के कारण श्री कस्वां द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो में से प्राथमिकता अनुसार श्रीगंगानगर जिला आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने एवं चाहे गए जिले मे रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण एतदनुसार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/राजेन्द्र कस्वां/13161/2020/8 — दिनांक – 13/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय./निर्णय/29819/एच/20 दिनांक 29.12.2020 के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा चुरू को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण से अवगत करावे।
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर